महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छहत्तरवां संस्करण (माह मई, 2022)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. बच्चों के अधिकार
3. ''मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना'' की मोटी–मोटी बातें
4. अभिनव पहलः मनरेगा से बनेगी पोषण वाटिका
5. स्कूली बच्चों की ड्रेस बनाकर 200 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर
6. महिला शक्ति संकुल संगठन सोण्डवा
7. घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया
8. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – सफलता की कहानी
9. आपदा का प्रकार – भूस्खलन

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छहत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है। जिसे **''मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की मोटी–मोटी बातें''** आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इससे साथ ही **''बच्चों के अधिकार''**, **''अभिनव पहलः मनरेगा से बनेगी पोषण वाटिका''**, **''स्कूली बच्चों की ड्रेस बनाकर 200 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर''**, **''महिला शक्ति संकुल संगठन सोण्डवा''**, **''घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया''**, **''प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – सफलता की कहानी''** एवं **''आपदा का प्रकार – भूस्खलन''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

बच्चों के अधिकार

बचपन एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा साथ, प्यार और दुलार की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाल्यवस्था में बच्चों का मन कोमल होता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में बच्चों के साथ शोषण की कई घटनाएं सामने आती है। यह शोषण आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी होता है। हालांकि कोमल मन होने के कारण बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों के शोषण पर लगाम लगाने के लिए बाल अधिकार कानून सामने लाया गया।

समाज में बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध के चलते आज बाल अधिकारों की व्यवस्था करना समय की आवश्यकता बन चुकी हैं। भारत में बाल मजदूरी, बाल विवाह, कन्या भ्रुण हत्या बच्चों की तस्करी, शारीरिक दुर्व्यहार की समस्याओं के चलते बाल अधिकार बारे में जाकरुकता एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता हैं। बाल अधिकार नाबालिग बच्चों की सुरक्षा तथा उनके बचाव के लिए निर्धारित किये गये मानवाधिकार हैं । 1989 के बाल अधिकार सम्मेलन में बालक शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम है ।

साल 1989 में बाल अधिकार सम्मेलन में इस बात को परिभाषित किया था कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनकी गिनती बाल के तौर पर होगी और उन्हें बाल अधिकार प्राप्त होंगे। बता दें हर साल 14 से लेकर के 20 नवंबर तक बालकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह मनाया जाता है। हमारे देश में भी हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस का मनाया जाता हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। यह आयोग बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है और उनके अधिकारों का हनन होने पर आवश्यक कार्रवाई करता है। आयोग का कार्य हैं कि वह बनने वालो कानून, नीतियों तथा सरकारी व्यवस्था को देखे तथा उसका आंकलन करे कि वह बाल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार के अनुसार भी हो।1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर 2007 में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। ये वे अधिकार हैं जो प्रत्येक देश अपने नागरिकों के

बेहतरी के लिए उन्हें प्रदान करता हैं, बालक मतदान के सिवाय उन सभी अधिकारों को पाने के हकदार हैं जो उसकी उम्रः के योग्य हो तथा एक वयस्क व्यक्ति को मिल रहे हैं।

बाल अधिकारों के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन नाम और राष्ट्रीयता परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहारए बच्चों का गैर.कानूनी व्यापार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता हैं।

मार्च 2007 में ही भारतीय संविधान में बाल अधिकारों के लिए एक संवैधानिक संस्था का गठन किया गया, जिन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहा जाता हैं । हमारे देश में बाल अधिकारों के प्रति जनजागरूकता के लिए कई संगठन, सरकारी विभाग, नागरिक समाज समूह एनजीओ काम कर रहे हैं,। बाल अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही हैंकि समाज तक बाल अधिकारो के बारे में जागरुकता फैल सके ।

बाल अधिकार बालकों को श्रम में लगाने तथा उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार आदि का खंडन करता हैं, ये बालक को बेहतर बालपन शिक्षा व विकास के सुलभ अधिकार प्रदान करता हैं, घरेलू हिंसा व बाल तस्करी की समाप्त कर बच्चों को अच्छी शिक्षा, मनोरंजन, खुशी देने के प्रयत्न करता हैं।

बाल अधिकारों के उद्देश्य

- 18 वर्ष से कम आयु के बालक के समुचित विकास तथा उसके बाधक तत्वों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ अभिभावकों को अवगत कराना।
- निम्न आर्थिक स्तर के बालक के लिए नई नीति तथा सुनहरे भविष्य के लिए राह आसान बनाना।
- बालकों के प्रति बढ़ती हिंसा को समाप्त कर उन्हें सामाजिक व विधिक स्तर पर गैर कानूनी घोषित करना
- विभिन्न देशों तथा राज्यों में बालकों की स्थिति के सम्बन्ध में शोध करना
- बालकों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना

बाल अधिकार की आवश्यकता

कई बार मन में प्रश्न उटता है कि बच्चों के लिए अलग से बाल अधिकारों के प्रावधान की क्या आवश्यकता हैं। क्या मानवाधिकार बालकों के लिए पर्याप्त नहीं हैं पर समाज में फैली वस्तविकता से हम सभी परिचित हैं , ऐसा देखा गया है कि आए दिन 5 से 6 साल की बच्चियों के साथ रैप जैसे घिनौने अपराध की खबरे, 10 साल तक के बच्चों को होटलों की भट्टियों पर देखकर लगता है कि आज भी बच्चो की सुरक्षा पर

समाज में जागरुकता का आभव हैं । बाल अधिकार और संरक्षण आयोग भी इसीलिए बनाए गये हैं ताकि बालकों के बचपन को तबाह होने से रोका जाए।

बाल अधिकार कौन कौन से है –

- प्रत्येक बालक को जीने का अधिकार है।
- अभिभावकों को अपने बालक को अच्छा खिलाने व उसकी देखभाल का अधिकार देता हैं।
- प्रत्येक बालक बालिका को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार हैं ।
- उन्हें समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार हैं।
- शिक्षा पाने का अधिकार
- अपनी बात को रखने का अधिकार
- अपनी पसंद व मांग को माता.पिता के समक्ष रखने का अधिकार
- स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के खेल तथा गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार
- बच्चों को सभा करने या संगठन बनाने का अधिकार हैं
- वे अपने प्रति हो रहे आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं शिकायत कर सकते हैं
- बालक को अपने निजी जीवन की बातेए व्यवहार आदि में बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा का अधिकार हैं
- किसी आपदा के समय पहले मदद पाने का अधिकार
- अपने अधिकार व भलाई के लिए सुरक्षा का अधिकार बाल अधिकारों में आते हैं।

बाल अधिकार

बालक समाज एवं राष्ट्र की सम्पति है, उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, पर उनके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है, इस कारण बालक की स्थिति के सम्बन्ध में हमे अवश्य ही विचार करना चाहिए, समाज के विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी बाल अधिकार है।

बाल अधिकार क्या है ;

बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक–बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है जो 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किये गये थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमती प्रदान की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गये अधिकारों को चार प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया हैण्

- **जीने का अधिकार–** . बच्चों के जीने का अधिकार उनके जन्म के पूर्व ही आरम्भ हो जाता है जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने भोजन आवास वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
- **विकास का अधिकार–.** बच्चों को भावनात्मक मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है।भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक संरक्षक समाज विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही देखभाल करे और प्रेम दे मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास मनोरंजन खेलकूद तथा पोषण द्वारा संभव होता है।
- **संरक्षण का अधिकार –** . बच्चें को घर तथा अन्यत्र उपेक्षाए शोषण हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चें विशेष संरक्षण के पात्र है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- **भागीदारी का अधिकार–.** बच्चों को ऐसें फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी में अनेक स्तर हो सकते है।

बालकों की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है भविष्य में सुखद समाज के लिए बच्चो के अधिकारों की रक्षा करना अति आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहता संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है।

डॉ. वदना तिवारी
व्याख्याता

''मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना'' की मोटी–मोटी बातें

योजना का परिचय

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब बीपीएल वर्ग के नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्यशील पूंजी के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं।

योजना से लाभ

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी व प्रदेश के बेरोजगार नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिकतम रू. 50000–00 की राशि प्रदान की जाती है। जो पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक पात्र व्यक्ति घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी बेरोजगार नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सभी लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय नहीं स्थापित कर पाते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कम लागत में उपकरण भी उपलब्ध करवाने में सहयोग

किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग लाभार्थी द्वारा उद्योग में कर करके बेहतर व्यापार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट लाने व बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बनाने के लिये बहुत उपयोगी योजना है।

योजना के लाभार्थी

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से केश शिल्पी, स्ट्रीट वेंडर, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार जैसे लोग लाभ उठा सकते हैं।

मार्जिन मनी सहायता

योजना से मार्जिन मनी सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु पूंजीगत लागत 15 प्रतिशत एवं बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अल्पसंख्यक, निशक्तजन, विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के लाभार्थी हेतु 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15000–00) दी जाती है।

योजना कार्यान्वयन

इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के नागरिकों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी या कम लागत के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुॅचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद इनका वेरीफिकेशन किया जाता है। उपयुक्त, पात्र चयनित लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना से जुड़े विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। विभागों द्वारा योजना के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है व यह प्रयास किया जाता है कि परियोजना लागत की अधिकतम राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।

इस योजना के लिए नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है। इस योजना के कार्य तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत मंत्री परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लाभ तथा विशेषताएं

- योजना के अंतर्गत देश के गरीब बीपीएल वर्ग के नागरिकों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है।
- यह सहायता प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
- प्रदेश के बेरोजगार नागरिक इस योजना की सहायता से आत्मनिर्भर बनेंगे।
- योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
- योजना के अंतर्गत रू. 50000–00 की राशि प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्यिों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के कारण आवेदक को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया किया जाता है।

योजना के लिए आवेदक की पात्रता

- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहा है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक या फिर वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी :–

- सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आवेदक के सामने विभागों की सूची को लेकर आएगी।
- आवेदक को अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आवेदक को साइन अप के सेक्शन में जाना होगा।

- अब आवेदक को चाही गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आवेदक की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन देना होगा।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- आवेदक को होम पेज पर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आवेदक को अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें लॉगिन के सेक्शन में जाना होगा।
- अब योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आवेदक पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आवेदक को ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आवेदक को गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

आई एफ एस कोड ढूंढने की प्रक्रिया

- सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आवेदक को अपने विभाग का चयन करना होगा।
- अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको आईएफएस कोड के सेक्शन में जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को आईएफएस कोड दर्ज करना होगा।
- अब आवेदक को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आई एफ एस कोड कम्प्यूटर स्क्रीन पर होगा।

समस्या समाधान

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755–6720200, 0755–6720203 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ msme@mponline-com पर ई–मेल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

अभिनव पहलः मनरेगा से बनेगी पोषण वाटिका

मध्यप्रदेश के सागर जिले में शाहगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवाहा में स्व सहायता समूह की महिलाओं की कृषि सखी एवं मनरेगा योजना की सहयोग से पोषण वाटिकाओं का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें पोषण वाटिका में 6 मीटर ब्यास के एक बड़े गोले के केन्द्र को बढ़ाते हुए बराबर–बराबर भागों में बांट कर निमार्ण किया जाएगा एवं गोले के ब्यास पर मुनगे जैसे पोषण वाले पौधे भी लगाए जाएगे जिससे घर में उपयोग होने वाले निस्तार पानी पोषण वाटिका में उपयोग किया जाएगा ताकि घर में निस्तार जल का उचित उपयोग भी हो जाएगा और कीचड़ एवं सड़के गंदी हो जाती है और कीटाणु पनपने लगते है। उससे भी निजात मिल जाएगी। क्योंकि जल उपयोग के बाद निस्तारी जल गंदगी और मच्छरों का आश्रय स्थल बन जाता है। इससे अब गांव मुक्त हो सकेगे। पोषण वाटिका का निर्माण कर रोजमर्रा की जिदंगी में उपयोग होने वाली साग सब्जी एवं फलदार पौधों से उत्पादन किया जाएगा ताकि निस्तारण जल के उपयोग के साथ साथ घर के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी जैसे भिन्डी, बैगन, टमाटर, पालक, मिर्ची, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, धनिया, लौकी, मैथी, जैसी मौसमी सब्जियां लगाई जाएगी।

सब्जियों एवं फलदार पौधे के लगने से गांव वालो के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा इससे आम ग्रामीण परिवारों को विशेषकर महिलाओं धाती महिलाओं गर्भवती महिलाओं को ताजी एवं स्वच्छ फाईवर एवं पत्ते युक्त सब्जियां मिल पायेगी। जिससे मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर और एनीमिया जैसे संकट में कमी होगी आजीविका एवं सहायता समूह से जुड़े मनरेगा पात्र परिवारों को पोषण वाटिकाओं के निर्माण के लिए जोड़ा जा रहा है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के नवीन अवसर सृजित होगे और निस्तारी जल का सदुपयोग होगा। पोषण वाटिकाओं में गोवर एवं गौमूत्र से जैविक खाद तथा जैविक दवा बनाकर जहरीली सब्जियों से ग्रामीणों को बचाया जा सकेगा।

लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

स्कूली बच्चों की ड्रेस बनाकर 200 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर

स्कूली बच्चों की ड्रेस की सिलाई करके देवरी ब्लॉक की 200 से अधिक स्व.सहायता समूह की महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। देवरी ब्लॉक के 13 स्व सहायता समूह के माध्यम से सिलाई करके 8 हजार से लेकर 15 हजार तक हर माह कमा रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है।

राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से शासन द्वारा कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूली ड्रेस बनाने का काम किया जा रहा है। यह काम ब्लॉक के 13 स्व सहायता समूह कि 200 महिला सदस्यों ने 23 हजार 500 स्कूली बच्चों की ड्रेस तैयार कर दिए है राज्य आजीविका मिशन देवरी ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए दो ड्रेसों का वितरण किया जाना है।

जय मां विजासन सिंलाई सेंटर की संचालिका संध्या लोधी ने बताया कि उनके सेंटर पर 35 महिलाएं सिंलाई का काम कर रही है जिन्हें उनके सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया था अब यह महिलाएं आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं जो महिलाएं घर में बैठकर चूल्हा चौकी तक सिमट गई थी वह अब सिंलाई करके 8000 से लेकर 15000 रूपये महीने का काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि ओम समूह की राधा ठाकुर की आर्थिक स्थिति अत्याधिक कमजोर थी उन्होंने सिंलाई करके अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार लिया है। इसी तरह मनीषा लोधी ने सिंलाई सीखकर अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधार लिया और वह मजदूरी करने ना जाकर अब सिंलाई में ही पूरा समय लगा रही है।

संतोषी माता स्व सहायता समूह की संचालिका कुसुम रानी ने बताया कि उनके यहां 8 महिलाएं सिंलाई का काम कर रही है और वह अच्छा खासा रोजगार पा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम बेलढाना की लीलावती ने सिंलाई करके अपने अधूरे पड़े मकान का काम पूर्ण करा लिया है और वह अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए लगातार मेहनत कर रही है।

झनक सिंह कुहकुटे
संकाय सदस्य

महिला शक्ति संकुल संगठन सोण्डवा

अलीराजपुर जिला पश्चिम मध्यप्रदेश में स्थित है। इस जिले की सीमाएं गुजरात व महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूती है। सोण्डवा विकासखण्ड अलीराजपुर जिले के सबसे बड़े वर्गफल में आता है। जिसमें प्रमुख रूप से भील, भीलाला जनजाति के लोगों की बहुल्यता है। जनजातीय लोगों की आजीविका खेती व जंगल आधारित है। प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपुरा इलाका अब सुखी नदियों व वन विहिन पहाड़ों में तब्दील हो चुका है। इलाके की नदियां रेत माफिया के कारण खत्म हो रही है तथा जंगलों के कम होने के कारण यहां आदिवासियों की वनोपज आधारित आजीविका खतरे में पड़ गई और वे साहुकारों के चंगुल में फस गऐ हैं । ऐसी स्थिति में उनके लिए छोटे–छोटे आकार खेंतों से गुजारा करना अपर्याप्त है। इसलिए क्षेत्रों के हजारों परिवार गुजरात पलायन कर जाते है। जिससे इन परिवारों के बच्चे शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं । साथ ही जिले को ले कर कई भ्रांतिया सभी के मन में थी जैसे, यहां के लोग शराब का सेवन करते है तथा कोई कार्य के लिए उत्सुक नहीं रहते। उनका मानसिक विचार बाहर के व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है । तथा अभी भी लुट मार की घटनाएँ होती है। रोजगार न होने के कारण सन् 2012 में ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य आरम्भ हुआ। जिससे लक्षित परिवारों का समुह/संगठन में जोड़ा गया। जिससे उन्हें विभिन्न कार्यो के लिए सूक्ष्म लोन उचित ब्याज पर मिलना शुरू हो गया। सन् 2014 में सोण्डवा संकुल संगठन का गठन हुआ। आजीविका के लिए समुदाय के समुदाय पालायन कर देते थे। स्वच्छता के संबंध में भी संकुल के सराहनीय कदम है। ओडीएफ के लिए संकुल ने बड़ी संख्या में अभूतपूर्व कार्य किया। जिसमें ग्राम संगठन और उसमें सम्मिलीत समुह ने निर्णय लिया कि गांव को 100 प्रतिशत ओडीएफ किया जायें इसके लिए दीदीयों ने रैली ओर कई समुदायिक नेतृत्व के कार्य किये जिसमें शौचायल निर्माण, शौचालय उपयोंग आदि की आदतों को समुदाय में लाना था । इन्हीं कार्यो के कारण महिला

संकुल संगठन को आदर्श संकुल संगठन के रूप में चयन ओर विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में संकुल संगठन में 36 ग्राम संगठन में 525 स्व–सहायता समूह संलग्न है जिनकों 1,61,40,000/– की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदाय की गई है । इस राशि से स्व सहायता समूह से जुडे परिवार अलग–अलग प्रकार के आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं। संकुल संगठन की प्रत्येक माह की बैठक में होने वाली स्थाई आजीविका के रूप में अपनाने के लिए कदम बढाया और जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुॅचाई। समूह सदस्यों की इच्छा और चाह को देखते हुए जिला प्रशासन ने समूह सदस्यों और मनरेगा के बीच समन्वय हेतु एक विशेष कार्ययोजना, राज्य शासन को प्रेषित की। जिसमें राज्य से अनुमति उपरांत संकुल संगठन एवं म.प्र.डबलू.पी.सी.एल. को तलब किया तत्पश्चात अलीराजपुर महिला पोल्ट्री प्रोडूसर कंपनी का गठन कर रजिस्ट्रेशन करवाया एवं प्रथम चरण में 500 परिवारों को कंपनी का सदस्य बनाया गया।

वर्तमान में मनरेगा के माध्यम से 450 शेड का निर्माण हो चुका है एवं 400 महिलाएँ कम से कम 4000 रू. एवं अधिकतम 12000 रू की आय प्राप्त कर रही है। इसी में एक उदाहरण है श्रीमती ठुमली दीदी। संकुल संगठन में सम्मिलित ग्राम पंचायत ककराना गांव जो कि नर्मदा के किनारे स्थित है। जो कि विकासखण्ड की सबसे बड़ी पंचायतों में सम्मिलित है। वैसे तो पूर्व से ही यह ग्राम नर्मदा नदी के डुब क्षैत्र में सम्मिलित है।

इसी गांव में श्रीमती ठुमली पति कुचिया सोंलकी अपने परिवार के साथ कृषि से जीवन यापन करती थी परन्तु जमीन डुब में आने से आजीविका का स्त्रोत भी डुब गया है। परन्तु ठुमली दीदी ने हार नहीं मानी, और संकुल संगठन से अपने ग्राम में भी समूह से जुड़ी महिलाओं को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा और आजीविका मिशन से जुड़ी समस्त सदस्यों से थोड़ा पैसा इक्ट्ठा करके समूह को ग्राम सगठन के माध्यम से संकूल संगठन में मूर्गी पालन की योजना बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथा इसे आजीविका गतिविधि के रूप में ग्राम कई महिलाओं को जोड़ा।

गांव में 12 दीदीयों का चयन करवाया जिससे आज 10 दीदीयों के यहॉ मुर्गी पालन का पूर्ण कार्य हो रहा है। इससे लोगों के बीच दीदी का कॉफी सम्मान हुआ। इन सभी से प्रेरणा लेके दीदी ने पंचायतों की बैठकों को निरतंरता लाने में मदद की। और उनके पति को भी रोजगार मिला और वो आज गॉव में प्रोड्यूसर कम्पनी के सुपरवाईजर है। जो पूर्ण कार्य मुर्गी पालन को देखते है। पंचायत की विभिन्न प्रशिक्षण में दीदी भाग लेती है। जिससे विभिन्न पात्रता की योजनाओं में गॉव की दीदीयों को जोड़ती है। इसलिए वह गांव में पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में प्रसिद्ध है।

इसी प्रकार संकुल स्तरीय संगठन महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका सुदृडीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। 36 गांव में समूह द्वारा सामाजिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है इसके अन्तर्गत एक मुट्टी अनाज एकत्रित कर गरीब परिवारों को प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा करते हैं। इन सभी गतिविधियों में संकुल का सकारात्मक सहयोग रहता है।

प्रकाश पुरकर
संकाय सदस्य

घर पंहुच सेवा ग्राम पंचायत ने हेल्पलाईन नबंर जारी किया

जिला सिवनी जनपद पंचायत धनौरा की ग्राम पंचायत साजपानी ने अपने कार्यो की पारदर्शिता एवं शिकायतों को त्वरित कार्यावाही करने हेतु ग्राम पंचायत हेल्पलाइन दिनांक 28.02.2022 से प्रांरम्भ 7067062023 किया जो एक बहुत अनुकरणीय पहल है।

ग्राम पंचायत साजपानी ने सी.एम हेल्प लाइन 181 की तर्ज पर पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की शिकायतों के निराकरण हेतु हेल्प लाइन नं. 7067062023 जारी किया। हेल्प लाइन नम्बर से आने वाली शिकायत की त्वरित कार्यवाही हेतु 2 कर्मचारियों का दायित्व सौपा गया। 3 दिन के भीतर ही निराकरण कर शिकायत समाप्त करना कर्मचारियों का दायित्व है शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी शिकायतकर्ता के घर पंहुचकर निराकरण करना दायित्व है। अभी तक पंचायत ने 9 प्राप्त शिकायत का निराकरण किया है शिकायत आने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

ग्राम साजपानी में ग्राम पंचायत की हेल्प लाइन नम्बर जारी होने पर 181 हेल्प लाइन मुख्य मंत्री शिकायत एवं आर टी आई (सूचना का अधिकार) संबधित सूचनाओं कम हो गयी है।

पंचायत के सचिव शमशेर खान का मानना हे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना हेल्प लाइन नम्बर जारी करना स्थानीय नागरिकों की शिकायत त्वरित निराकरण करना चाहये।

ग्राम साजपानी द्वारा हेल्प लाइन नम्बर जारी कर कार्य करना एक नवाचार है सभी पंचायते ऐसा कार्य करे तो निश्चित समाज में शिकायतों का बढ़ती संख्या कम हो सकती है एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ही आम शिकायमों का निराकरण हो सकेगा।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – सफलता की कहानी

ग्राम पंचायत कुण्डला जनपद पंचायत झाबुआ जिला झाबुआ के हितग्राही कालू सिंगाड गरीब निर्धन परिवार का होकर इनके पास पूर्व में एक कच्चा मकान था एवं कालू अपने परिवार का भरण पोषण खेती कर जीवन यापन किया करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलने के बाद वर्तमान में कालू के पास पक्का मकान, शौचालय, गैस कनेक्शन, आदि की व्यवस्था शासन स्तर से मुहया करवाई गई।

श्री कालू को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया जैसे – हितग्राही बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में होने से संबंधित का प्रतिमाह खाघन्न भी प्राप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन प्राप्त है, घर में विधुत कनेक्शन प्राप्त है। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि रू. 12,000/– प्राप्त हुए है। मनरेगा अन्तर्गत ग्राम में चल रहे कार्यो में श्री कालू को कार्य भी दिया जा रहा है ।

नये आवास का प्रभाव :– श्री कालू सिंगाड ने बताया कि पहले में कच्चे मकान में निवास करता था एवं कच्चे मकान में निवास करने से मुझे अक्सर भय की स्थिति का आभास हुआ करता था क्योंकि मकान की दीवारें कच्ची होने से एवं उपर कवेलू की छत होने से अक्सर आंधी तूफान व वर्षा ऋतु में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कच्चे मकान में अक्सर जहरीले जीव जन्तु निकलते थे जिससे अक्सर भय की स्थिति बनी रहती थी । कच्चा मकान होने से रिश्तेदारों का घर आना जाना भी बहुत कम हुआ करता था एवं समाज में मान–सम्मान भी बहुत कम मिलता था ।

फिर एक दिन ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि आपका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची में दर्ज है एवं शासन द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्रदान किया जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई एवं ग्राम पंचायत ने मुझसे कुछ आवश्यक दस्तावेज मांगे जिसे मैने तत्काल ग्राम पंचायत को उपलब्ध करांए ग्राम पंचायत ने मुझे आवास निर्माण की प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त एवं चतुर्थ किश्त का समय–समय पर भुगतान करवाया है जो मेरे बैंक खाते में मुझे प्राप्त हुई है साथ ही मनरेगा से 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान भी किया गया है। जिससे मैने अपना पक्का मकान 105 दिवस में बना लिया है, साथ ही उसमें शौचालय का निर्माण भी करवाया है आज पक्का मकान होने से उसमें बिजली, पानी, उज्जवला गैस एवं अन्य शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है श्री कालू सिंगाड ने बताया कि उन्हें शासन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है।

श्री कालू सिंगाड ने कहॉ मै माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हुँ जिन्होंने हम जैसे गरीब, निर्धन, बेसहारा परिवारों को शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं से जोडा और हमें उनका लाभ दिया जिससे हमारा जीवन बहुत ही सरल एवं सुंदर बना है पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ।

सुधा जैन,
संकाय सदस्य

आपदा का प्रकार – भूस्खलन

भूस्खलन क्या है?

चट्टान के टुकडों, मलबे या मिट्टी के ढेरों का ढ़लान के सहारे खिसककर नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन बृहत् क्षरण का एक प्रकार है, जिसमें मृदा तथा चट्टान समूह गुरुत्व के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत खिसककर ढ़ाल से नीचे गिरता है।

भूस्खलन प्राकृतिक संकटों में से एक है जो देश के कम से कम 15 प्रतिशत भू–भाग को प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इंडियन और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर से हुआ है। इंडियन प्लेट की यूरेशियाई प्लेट की दिशा में उत्तर की ओर गति (5 से.मी./वर्ष की दर से) चट्टानों पर निरंतर दबाब बनाती है और उन्हें भुरभुरा, कमजोर और भूस्खलन तथा भूकम्प के लिए प्रवण बना देती है।

भारत के भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र

भूस्खलन की बारंबारता और इस घटना को प्रभावित करने वाले अन्य नियंत्रण कारकों, जैसे भूविज्ञान, भू–आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों आदि के आधार पर भारत को विभिन्न सुभेद्यता क्षेत्रों (जोनों) में विभाजित किया गया है, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

अत्यधिक उच्च सुभेद्यता क्षेत्र	• अत्यधिक अस्थिर, हिमालय और अंडमान एवं निकोबार में सापेक्षिक रुप से युवा पर्वतीय श्रृंखलाएं। • पश्चिमी घाट और नीलगिरि में खड़ी ढाल युक्त अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र • भूकंप प्रभावी क्षेत्र • अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, विशेषकर सड़कों, बांध आदि के निर्माण से संबंधित।
उच्च सुभेद्यता क्षेत्र	• उच्च सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक उच्च सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती–जुलती परिस्थितियों है। • इन दोनों में अंतर मात्र भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन गहनता और बारंबारता का है। • हिमालय क्षेत्र के सभी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य (असम के मैदानों को छोडकर) इस क्षेत्र में सम्मिलित है।

माध्यम से निम्न सुभेद्यता क्षेत्र	निम्न वृष्टि वाले क्षेत्र जैसे कि – • लद्‌ाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति के पार हिमालयी क्षेत्र, • अरावली में विषम लेकिन स्थिर उच्चावन एवं निम्न वर्षण वाले क्षेत्र • पश्चिमी और पूर्वी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र एवं • दक्कन पठार • झारखंड, उडीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खनन और भूमि धेंसने के कारण भूस्खलन एक सामान्य घटना है।
अन्य क्षेत्र	जहां तक भूस्खलन का प्रश्न है, भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिले को छोडकर) असम (कार्वी आंगलोंग जिले को छोडकर) और दक्षिणी राज्यों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन से सुरक्षित है।

भूस्खलन के कारण

- भारी वर्षा भारी वर्षा भूस्खलनों का मुख्य कारण है।
- निर्वनीकरण भूस्खलनों का एक अन्य प्रमुख कारण है। वृक्ष, झाड़ियॉ और घास मिट्‌टी के कणों को बॉध कर सकते है। वृक्षों को काटने से पर्वतीय ढलान अपने सुरक्षात्मक आवरण को खो के कणों को बांध कर रखते है। वृक्षों को काटने से पर्वतीय ढलान अपने सुरक्षात्मक आवरण को खो देते है। वर्षा जल इस प्रकार के ढ़लानों पर निर्बाध गति से प्रवाहित होता है।
- भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप हिमालयी क्षेत्रों का एक सामान्य लक्षण है। कंपन पहाडों और चट्‌टानों को अस्थिर कर देते है और चट्‌टाने नीचे की ओर लुढ़कती है। ज्वालामुखी विस्फोट भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण हो सकते है।
- सड़कों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में विकास गतिविधि के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। सड़क के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, बडी मात्रा में चट्‌टानों और मलवे को हटाया जाना होता है। यह प्रक्रिया शैल संरचना को विस्थापित कर देती है और ढलानों की प्रवणता को परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भूस्खलन का कारण हो सकता है।
- स्थानांतरी कृषि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरी कृषि की प्रथा के कारण भूस्खलनों की संख्या और बारंबारता में वृद्धि हुई है।
- मकान और अन्य भवनों निर्माणः निरंतर बढ़ती जनसंख्या को आश्रय प्रदान करने एवं पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक घर एवं होटल बनाए जा रहे है। निर्माण प्रक्रियाओं में भारी मात्रा में मलवा उत्पन्न होता है। अत्यधिक मलवा भूस्खलन का कारण बनता है।

भूस्खलन संकट के परिणाम

- भूस्खलन आपदाओं के समाज पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनो प्रकार के प्रभाव पड़ते है। इससे आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है।
- अल्पकलिक प्रभाव प्राकृतिक सौदर्य की नुकसान
- सड़क मार्ग में अवरोध रेल पटरियों का टूटना
- चट्टाने गिरने के कारण जल वाहिकाओं (चैनलों) का बाधित होना
- भूस्खलनों के कारण नदी मार्गो के परिवर्तन से बाढ आ सकती है
- जान –माल की क्षति

दीर्घकालीन प्रभाव

- भूदृश्य में परिवर्तन जो स्थायी हो सकते है,
- कृषि योग्य भूमि की हानि
- अपरदान व मृदा क्षति के रुप में पर्यावरणीय प्रभाव
- जनसंख्या विस्थापन एवं आबादियों और प्रतिष्ठानों का स्थान परिवर्तन
- जल के स्त्रोतो का सूखना

भूस्खलन संकट शमन

- संकट वाले क्षेत्रों की पहचान एवं चयनित स्थलों पर निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के अतिरिक्त विशिष्ट ढालों को स्थिर एवं प्रबंधित किया जाना चाहिए।
- भूस्खलन से निपटने के लिए क्षेत्र–विशिष्ट उपाय अपनाया सदैव उपयुक्त रहता है।
- भूस्खलन के लिए सामान्य रुप से प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु संकट का मानचित्रण किया जाना चाहिए।
- अवैज्ञानिक निर्माण और सड़क एवं बांध बनाने जैसे अन्य विकास कार्यो पर प्रतिबंध, कृषि को घटियों एवं मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित करना एवं उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण जैसे उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- जल प्रवाह को कम करने के लिए बडे पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों एवं बांधों के निर्माण को बढावा देना चाहिए।
- उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में झूम या स्थानांतरी कृषि को प्रतिस्थापित कर सीढीनुमा कृषि को बढावा दिया जाना चाहिए।
- भूमि को फिसलते से रोकने के लिए पर्वतीय ढालों पर धारक भित्तियॉ बनायी जा सकती है।
- सुभेद्य ढलानों एवं मौजूदा खतरनाक भूस्खलनों का उपचार करना।
- भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में अवैज्ञानिक विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।
- खुदाई, निर्माण और ग्रेडिंग के लिए संहिताए (कोड) तैयार करना।

- वर्तमान विकास का संरक्षण।
- भूस्खलन बीमा एवं नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उचित व्यवस्था का निर्धारण करना।

वर्तमान चुनौतियॉ

- विभिन्न स्तरों, अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य जिला, नगरपालिका/ पंचायत स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास में भूस्खलन सम्बन्धी चिंताओं को एकीकृत करना।
- भूस्खलन के अलग–अलग उपचारण की कार्यप्रणाली के स्थान पर नियंत्रण उपायों के सम्मिलित एवं समग्र कार्यावयन की ओर कदम बढाना।
- उचित ढ़ाल संरक्षण, नियोजित शहरीकरण, विनियमित भूमि उपयोग और पर्यावरण अनुकूल भूमि प्रबंधन पद्वतियॉ अपनाने के लिए तकनीकी–कानूनी व्यवस्था।
- पर्यावरण को सोदेश्य क्षति पहुॅचाने एवं अस्वस्थ्य निर्माण प्रथाओं के विरुध शून्य सहिष्णुता।
- नए निर्माण को प्रशासित करने वाले कानून एवं समस्या ग्रस्त ढ़लानों और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में वर्तमान भूमि उपयोग को परिवर्तित करना।
- बहु–संस्थागत और बहु अनुशासनात्मक टीमों के प्रबंधन में नवाचार।
- आपदा ज्ञान नेटवर्क की स्थापना एवं राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के प्रसार के लिए तंत्र, अंतराष्ट्रीय संपर्कों के लिए तंत्र, सहयोग और संयुक्त पहलें।

3.2.7 बादल फटना

बादल फटना क्या है?

- कुछ किलोमीटर के दायरे के भीतर अचानक मूसलाधार वर्षा का होना बादल फटना कहलाता है यह आमतौर पर कुछ मिनट से अधिक समय तक नहीं होता है लेकिन पूरे क्षेत्र को बाढग्रस्त करने में सक्षम होता है। बादल फटने से होने वाली वर्षा आमतौर पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है।

बादल फटने की परिघटना किस प्रकार निर्मित होती है?

- जल की सूक्ष्म बूंदों से पूरित मानसूनी बादल मैदानी भागों के उपर से होकर गति करते है। उष्ण वायु धाराएं इन बादलों को उपर की ओर धक्का देती रहती है और उन्हें वर्षा नहीं करने देती।
- निरंतर पहले से अधिक जल की बूंदे एकत्रित होती जाती है और पर्वत या पहाड़ी के उपरी भाग की ओर गति करने के साथ बादल का आकार बडा होता जाता है। बादल शीध्र ही गति करना बंद कर देते है क्योकि पर्वतों के उपरी भागों में पवन प्रवाह नाममात्र ही होता है।
- बादलों में जल की बूॅदों को धारण करने वाली उष्ण वायु ठंकी हो जाती है। परिणामस्वरुप बादल गीले कागज के थैले की तरह फट जाता है और मसूलाधार वर्षा होती है।

भारत में बादल फटने का जोखिम

- बादल फटने की विशिष्ट परिभाषा के अनुसार यदि लगभग 10 कि.मी. x 10 कि.मी क्षेत्र में प्रति घंटे 10 सेमी या उससे अधिक की वर्षा दर्ज की जाती है तो इसे बादल फटने की घटना के रुप में वर्गीकृत किया

जाता है। इसका अर्थ यह है कि आधे घंटे में 5 सेमी की वर्षा को भी बादल फटने के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा। सामान्यतः भारत, एक वर्ष में लगभग 116 सेमी वर्षा प्राप्त करता है अर्थात् देश में प्रत्येक क्षेत्र को औसत रुप से, केवल इतनो वर्षा की मात्रा प्राप्त करने की अपेक्षा करनी चाहिए। इसलिए बादल का फटना मात्र एक घंटे में उस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा के 10–12 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होगा।

भूमंडलीय तापन के कारण पिछले कुछ दशकों में चरम वर्षण की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई हैः यह माना जा रहा है कि संभवतः बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही होगी।

बादल फटने की कुछ बड़ी घटनाएं		
2 अगस्त 2010	लेह लद्दाख	मात्र 1 घंटे में 25 सेमी वर्षा
29 सितम्बर 2010	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	मात्र 1 घंटे में 14.4 सेमी वर्षा
4 अक्टूबर 2010	पाषाण, पुणे	मात्र 1.5 घंटे में 18.2 सेमी वर्षा
26 जुलाई 2005	मुम्बई	10 घंटे में 144.8 सेमी वर्षा

बादल फटने की घटना का वितरण प्रतिरुप

- बादल फटने की घटना मैदानी भागों में भी होती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इसके घटित होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि इसका संबंध क्षेत्र की स्थलाकृति से होता है। उदाहरण के लिए खड़ी ढाल वाली पहाडियॉ इन मेघों के निर्माण हेतु अनूकूल होती है। बादलों का फटना केवल उसी स्थिति में ध्यान आकर्षित करता है जब उसके परिणामस्वरुप जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ हो तो कि मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होता है।

बादल फटने के परिणाम

- आकस्मिक बाढ़/भूस्खलन
- मकान का ढ़हना, सम्पत्ति का नुकसान
- यातायात का अस्त–व्यस्त होना एवं
- बड़े पैमाने पर मानव जीवन की क्षति

बादल फटने के विषय में पूर्वानुमेयता

छोटे पैमाने पर घटित होने के कारण बादल फटने की घटना के पूर्वानुमान हेतु कोई संतोषजनक तकनीक नहीं है। बादल फटने के विषय में लगभग 6 घंटे पहले या कभी–कभी 12–14 घंटे पहले पता लगाने में समर्थ होने के लिए रड़ारों के अत्यधिक उच्च क्षमता वाले नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यह अत्यधिक महंगा होगा। भारी वर्षा होने की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान केवल सीमित पैमाने पर की जा सकती है। हालॉकि, बादल फटने की घटनाओं के अनुकूल क्षेत्रों एवं मौसम की स्थितियों की पहचान करके अधिकांश क्षति को टाला जा सकता है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य